पत्र संख्या–न्याय–5(1)/ अम्रपाली ग्रुप /2020–21/ 174 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(वाद अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 16, जुलाई, 2020**

महोदय,

कृपया ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, गाजियाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–33 दिनांक 30.06.2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या 940/2017 विक्रम चटर्जी (AMRAPALI GROUP OF MATTERS) अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के वाद में विभाग की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद किये जाने हेतु INTERVENTION APPLICATION दाखिल किये जाने के संबंध में श्री भक्तिवर्धन सिंह, एडवोकेट ऑन रिकार्ड से कॉनफ्रेन्शिंग हुई, जिसमें यह सहमति व्यक्त की गयी कि पूरे प्रदेश में आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध जितने भी मामले हों उन्हे एक साथ ही INTERVENTION APPLICATION में समाहित कर लिया जाये, जिससे भविष्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में भी सभी वादों के संबंध में एक साथ कार्यवाही की जा सके । इस संबंध में पूरे प्रदेश में आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष किसी भी डिस्प्यूट से संबंधित सूचनाएँ एकत्रित कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

अतः ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, गाजियाबाद के उक्त पत्र दिनांक 30.06.2020 की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि यदि आपके जोन में अम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष किसी भी डिस्प्यूट से संबंधित सूचना उपलब्ध हो तो शीघ्र सर्वो0न्या0क0, वाणिज्य कर गाजियाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

Adm
Dcm
16.7.
494

भवदीय,

(राम सजीवन मिश्रा)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दि0 उक्त

प्रतिलिपि ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संदर्भित पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, गाजियाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–33 दिनांक 30.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

ललित मिश्र
ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0का0)
वाणिज्य कर, गाजियाबाद।

अर्द्ध शा0 पत्र सं0- 33 /ज्वा0 कमि0 (सर्वो0न्या0का0)/2020-2021
कार्यालय ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य)
वाणिज्य कर, गाजियाबाद। दिनांक :-30/06/2020

आदरणीय महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन, अनुभाग-2, के इस कार्यालय को सम्बोधित पत्र सं0-डब्लू-09/11-2-2020-14(09)/2020 लखनऊ दि0 11-06-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका सं0-940/2017 विक्रम चटर्जी (AMRAPALI GROUP OF MATTERS) व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के वाद में विभाग की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद किये जाने हेतु INTERVENTION APPLICATION दाखिल किये जाने हेतु श्री भक्ति वर्धन सिंह, एडवोकेट ऑन रिकार्ड को आबद्ध किये जाने हेतु उनके पक्ष में वकालतनामा एवं आबद्धता आदेश प्राप्त कराने के सम्बन्ध में है।

INTERVENTION APPLICATION दाखिल किये जाने हेतु श्री भक्ति वर्धन सिंह, एडवोकेट ऑन रिकार्ड को सभी सुसंगत अभिलेख प्राप्त करा दिये गये है तथा ए0ओ0आर0 द्वारा INTERVENTION APPLICATION तैयार की जा रही है।

एडवोकेट ऑन रिकार्ड श्री भक्ति वर्धन सिंह के साथ इस सम्बन्ध में CONFERENCING हुई जिसमें यह सहमति बनी कि पूरे प्रदेश में आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध जितने भी मामलें हो, उन्हें एक साथ एक ही INTERVENTION APPLICATION में समाहित कर लिया जाये जिससे भविष्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में भी सभी वादों के सम्बन्ध में एक साथ कार्यवाही हो सके। इसके उपरान्त एडवोकेट ऑन रिकार्ड द्वारा इस कार्यालय को सम्बोधित अपने पत्र दि0 28-06-2020 द्वारा यह जानकारी प्राप्त कराने की अपेक्षा की गयी है कि आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध पूरे प्रदेश में यदि कोई अन्य DISPUTE हो तो उसके तथ्य भी इसी INTERVENTION APPLICATION में समाहित किये जाने हेतु सम्बन्धित अभिलेख उन्हें प्राप्त करा दिये जाये।

एडवोकेट ऑन रिकार्ड के पत्र दि0 28-06-2020 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि पूरे प्रदेश से आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष किसी भी DISPUTE से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करे ताकि प्राप्त सूचनायें एडवोकेट ऑन रिकार्ड को प्राप्त कराते हुए विभाग की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध अवशेष समस्त मामलो में एक साथ INTERVENTION APPLICATION दाखिल करायी जा सके।

भवनिष्ठ

(ललित मिश्र)

एडिशनल कमिश्नर (विधि)
वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

अर्द्ध शा0 पत्र सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रिय महोदय,

उक्त अर्द्ध शा0 पत्र की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आपके जोन में आम्रपाली ग्रुप से सम्बन्धित जो भी मामले है उनके सम्बन्ध में सूचनायें एकत्रित कराकर इस कार्यालय को प्रेषित कराने की कृपा करे ताकि समस्त विवादित मामलों को INTERVENTION APPLICATION में समाहित कराया जा सके।

भवनिष्ठ

(ललित मिश्र)

श्री विनय
एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,
वाणिज्य कर नोएडा जोन नोएडा।

223
10/07/2020

BHAKTI VARDHAN SINGH
ADVOCATE-ON-RECORD
SUPREME COURT OF INDIA

CHAMBER:
69, Lawyers' Chamber
Supreme Court of India,
New Delhi 110001
M-+91 9818249711

RESIDENCE:
E-503, Sethi Max Royal
Sector-76, Noida
Phone: 0120-4358232
Email: bhaktivardhan@gmail.com

Dated: 28.6.2020

To,

The Joint Commissioner,
(Supreme Court Works)
Trade Tax, Ghaziabad
Uttar Pradesh

Re: Filing of Intervention Application in case of Writ Petition (Civil) No. 940 of 2017 titled Bikram Chaterjee Vs Union of India in respect of Claims of the Department of Commercial Tax, Government of UP against Amrapali Group

Dear Sir,

As per the instructions, an Intervention Application is required to be filed before Hon'ble Supreme Court regarding pending claims of the Department against Amrapali Group.

I have received documents of Claims in respect of the following firms of Amrapali Group:

(i) M/S Amrapali Centurian Park Pvt. Ltd. Gr Noida;
(ii) M/S Amrapali Dream Vally Pvt. Ltd. Gr. Noida;
(iii) M/S Amrapali Leisure Valley Pvt. Ltd. Gr. Noida;
(iv) M/S Amrapali Smart City Pvt. Ltd. Gr. Noida;
(v) M/S Amrapali Smart City Developers Pvt. Ltd. Gr. Noida.

Since all the Claims of Department against Amrapali Group is required to me mentioned in the Application, it is requested to kindly inform if there is any other pending claim of the Department against any of the company of the Amrapali Group, so that those claims, if any, may also be included in the Intervention Application to be filed before Hon'ble Court.

Thanking you,

(Bhakti Vardhan Singh)